समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–28 / 2023–24
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
श्याम मनोहर सिंह
–::आदेश::–

13.04.2024

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–31 / 2023, दिनांक–13.07.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि माराफारी थाना कांड सं0–87 / 2022, दिनांक–05.08.2022, धारा–379 / 411 / 34 भा0द0वि0, 21 एम0एम0डी0आर0 एक्ट, 54 झारखण्ड लघु समनुदान नियमावली–2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज नियम–2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर रजि0 सं0–JH09AX-3159 एवं ट्रॉली तथा उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू, वाहन मालिक श्री श्याम मनोहर सिंह पिता झरी सिंह, क्वा0नं0–69, स्ट्रीट–18, सेक्टर–9 / सी0, थाना–हरला, बी0एस0सिटी, जिला बोकारो के विरूद्ध बालू के अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं बालू को राजसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा दायर वाद के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात होता है कि दिनांक–05.08.2022 को समय 08:00 PM बजे अंचल अधिकारी, चास एवं स्थानीय पुलिस बल के साथ माराफारी थाना अन्तर्गत मुख्य पथ बाँसगोड़ा शिव मंदिर के पास अवैध खनन की रोकथाम हेतु जाँच किया जा रहा था। उसी क्रम ट्रैक्टर सं0– JH09AX-3159 एवं ट्रॉली में नम्बर अंकित नहीं में बालु लदा हुआ पकड़ा गया। पुलिस बल को देखते ही वाहन का चालक वाहन छोड़कर भाग गया। ततपश्चात पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत वाहन एवं उस पर लदा बालू को विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर जप्त करते हुए थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया है कि विपक्षी एक बेरोजगार युवक है, जो अपने जिविकोपार्जन के लिए मुद्रा

लोन लेकर प्रश्नगत ट्रैक्टर को खरीदा, जिसे भाड़े पर चलाया जाता था। उसी क्रम में मेसर्स लक्ष्मी इन्टरप्राईजेज के पार्टनर बी0पी0 शुक्ला ने विपक्षी के ट्रैक्टर को अपने कार्य माराफारी में लगाया। मेसर्स लक्ष्मी इन्टरप्राईजेज के माराफारी में कार्य चल रहा था जिसमें कार्य समाप्ति के बाद कुछ सामान बालु, गिट्टी बच गया था और बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, जो लोगो के द्वारा बर्बाद किया जा रहा था। तब बी0पी0 शुक्ला के द्वारा उक्त ट्रैक्टर को भाड़े पर लेकर अपने कार्य स्थल पर बचे हुए बालु, गिट्टी को उठाकर अपने सेक्टर 1 स्थित गोदाम में लाने के लिए लगाया था। विपक्षी का उक्त ट्रैक्टर व्यवसायिक है जिसका ऋण का किस्त बकाया होते जा रहा है, और सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है। विपक्षी के द्वारा ऐसा कोई नियम विरूद्ध कार्य नहीं किया जा रहा था जिससे की सरकार को किसी भी प्रकार की कोई क्षति हो। अंत में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा राजसात की कार्यवाही को खारिज एवं जप्त वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रतिवादी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रश्नगत बालू के संदर्भ में जिस चालान की प्रति को समर्पित किया गया है वह दिनांक– 15.12.2019 को निर्गत है, जबकि यह मामला दिनांक– 05.08.2022 का है। ऐसे में इस चालान को प्रश्नगत बालू के लिए प्रसांगिक नहीं माना जा सकता है। स्पष्टतः प्रतिवादी के द्वारा बिना वैध कागजात (चालान) के ही प्रश्नगत बालू का परिवहन किया जा रहा था। जाँच दल को देखते ही वैध कागजात/ई परिवहन चालान प्रस्तुत करने के बजाय, चालक/मालिक का वाहन छोड़कर भागना उनके दूषित मंशा को दर्शाता है। उनकी ओर से दिया गया दलील न तो संतोषजनक है और न ही उसका कोई ठोस आधार। बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों का उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की धारा–4(1), 4(1A) का उल्लंधन है एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा–21 के तहत दण्डनीय भी साथ ही The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के नियम–9 का उल्लंघन है जो नियम 13 के तहत दण्डनीय

है। वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से स्टोन चिप्स के परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है।

फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–31/2023, दिनांक–13.07.2023 को स्वीकृत करते हुए माराफारी थाना कांड सं0–87/2022, दिनांक–05.08.2022, धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 21 एम0एम0डी0आर0 एक्ट, 54 झारखण्ड लघु समनुदान नियमावली–2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज नियम–2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर रजि0 सं0–JH09AX- 3159 एवं ट्रॉली तथा उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू को The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के उल्लंघन के आरोप में राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vide
No. 2168 Dated 8/5/24

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.06.27 17:28:45 +05:30
Location: 192.168.1.108